

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-414 / 2009

संस्थित दिनांक-31.07.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता (सामान्य),
 वन मण्डल उत्तर जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

1-ज्ञानसिंह पिता लक्ष्मण, उम्र 33 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम लच्छीटोला, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-रामस्वरूप पिता हीरालाल, उम्र 42 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम लच्छीटोला, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-लालसिंह पिता हरिशचन्द, उम्र 28 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम लच्छीटोला, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-दुर्गेश पिता नन्हूसिंह, उम्र 31 वर्ष, जाति गोंड
 निवासी-ग्राम लच्छीटोला, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-04/09/2014 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2, 9, 39, 51, 52 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-20.06.2009 को स्थान ग्राम लच्छीटोला में ज्ञानसिंह के मकान में एक वन्य प्राणी मादा घुटरी (चीतल) को मृत अवस्था में उठाकर उसका मांस खाने के आशय से छिपाकर रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन का सार इस प्रकार है कि दिनांक-20.06.2009 को वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता (सामान्य), वन मण्डल उत्तर जिला-बालाघाट (म.प्र.) के अधिनस्थ अधिकारियों को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम लच्छीटोला में आरोपी ज्ञानसिंह के मकान में वन्य प्राणी मादा घुटरी मृत अवस्था में रखी हुई है, जिस पर ग्राम लच्छीटोला ज्ञानसिंह के घर जाकर पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा आरोपी रामस्वरूप, लालसिंह व दुर्गेश द्वारा घुटरी मृत अवस्था में लाकर रखना बताया गया, जिस पर मृत घुटरी को पंचों के समक्ष घर से निकालकर जप्त किया गया। आरोपीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, जिस पर उन्होंने वन्य प्राणी के मांस को खाने की गरज से उठाकर ला कर और घर में छुपाया जाना स्वीकार किया। आरोपीगण की स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक-11232/11, धारा-2, 9, 39, 51, 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, मृत घुटरी का शव परीक्षण कराया गया, आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2, 9, 39, 51, 52 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-20.06.2009 को स्थान ग्राम लच्छीटोला में ज्ञानसिंह के मकान में एक वन्य प्राणी मादा घुटरी (चीतल) को मृत अवस्था में उठाकर उसका मांस खाने के आशय से छिपाकर रखा?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— एन.पी.निन्हानवे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह वर्ष 2005 से उप वन क्षेत्रपाल के पद पर परिक्षेत्र सहायक कार्यालय ग्राम कुमनगांव में पदस्थ है। उसे दिनांक-20.06.2009 को सूचना प्राप्त हुई कि ज्ञानसिंह के निवास पर मृतज कोठरी रखी गई है, जिसे आकर जप्त करे। वह अपने कर्मचारियों के साथ घटना स्थल पर जाकर देखा तो आरोपी के घर पर मृत कोठरी पड़ी हुई थी। मौके का पंचनामा तैयार कर, पंचों के समक्ष जप्तीनामा तैयार कर पी.ओ.आर. की कार्यवाही अपने बीटगार्ड विजय कुमार से पी.ओ.आर. जारी कराकर मृत कोठरी को परसवाड़ा लाकर शासकीय पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवायी गई। परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता सामान्य की उपस्थिति में मृत कोठरी के अवशेष नष्ट कराया गया। उसके द्वारा मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-1, सम्पत्ति का जप्तीनामा प्रदर्श पी-2, पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-3, आरोपी ज्ञानसिंह का बयान प्रदर्श पी-4, आरोपी रामस्वरूप का बयान प्रदर्श पी-5, आरोपी लालसिंह का बयान प्रदर्श पी-6, आरोपी दुर्गेश का बयान

प्रदर्श पी-7, आरोपी का गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8, मृत वन्य प्राणी के शव का पंचनामा प्रदर्श पी-9, घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-10, साक्षी सोहनलाल का बयान प्रदर्श पी-11, साक्षी रमेश का बयान प्रदर्श पी-12 तैयार किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे आरोपीगण व गांव के लोगो ने बताया था कि मृत कोठरी को कुत्ते ने दौड़ाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मृत कोठरी के सिर में चोट के निशान थे तथा पंचनामा प्रदर्श पी-9 में उसके शव में किसी प्रकार की चोट की निशान का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ज्ञानसिंह के घर के किस भाग में कोठरी का शव रखा हुआ था इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्त वन्य प्राणी कोठरी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रकरण में पेश नहीं है और न ही उक्त शव के रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट पेश है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा अपनी साक्ष्य में कथित मृत कोठरी के शव परीक्षण की रिपोर्ट एवं रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट प्रकरण में पेश न करने के बारे में स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे आरोपीगण एवं गांव के लोगों ने बताया था कि मृत कोठरी को कुत्ते ने दौड़ाया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी ने आरोपीगण के द्वारा उक्त कोठरी को कुत्ते ने मार डालने की बात बताने से इंकार किया है, जबकि प्रस्तुत परिवाद पत्र की कंडिका 3 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आरोपी ज्ञानसिंह एवं लालसिंह ने बताया कि खेतों की ओर एक कोठरी को कुत्ते दौड़ा रहे थे और मार डाले। इस प्रकार साक्षी ने मामले में उप वन क्षेत्रपाल के रूप में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्य को अस्वीकार करते हुए साक्ष्य पेश किया है।

7— विजय कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह वनरक्षक के पद पर विशेष कार्य में कुमनगांव वृत्त उत्तर लामता सामान्य परिक्षेत्र में पदस्थ है। वह दिनांक-20.06.2009 को को रेडिया बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह बीट की गश्ती पर था तो उसी दौरान उसे मुखबिर द्वारा एक वन्य प्राणी के शिकार किये जाने की सूचना मिली, जिस पर उसने उक्त सूचना परिक्षेत्र सहायक कुमनगांव मुख्यालय परसवाड़ा को दी गई। परिक्षेत्र सहायक के निर्देशन पर वह एवं अन्य वन अमला को साथ लेकर घटना स्थल पर जाकर आरोपी ज्ञानसिंह से पूछताछ किये तो उसने मृत कोठरी को अपने घर पर रखना बताया और अन्य आरोपीगण के नाम भी बताया। उसके पश्चात् बाद मृत कोठरी का नाप-जोक कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। उसके द्वारा पी.ओ.आर. की कार्यवाही की गई थी, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने अपने कथन लिखकर परिक्षेत्र अधिकारी को दिया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 की कार्यवाही उसके द्वारा की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण एवं गांव के लोगों ने एक कोठरी को

कुत्ते के द्वारा दौड़ाकर मार डालने की सूचना दी थी। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में इस साक्षी ने भी परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्य को अस्वीकार कर साक्ष्य में विरोधाभाषी कथन किया है।

8— रमेश बिसेन (अ.सा.3) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना वर्ष 2009 के छठवे माह की है। वह घटना दिनांक को विजय कुमार, एन.पी.निन्हावे के बुलाने पर ग्राम लच्छीटोला में आरोपी ज्ञानसिंह के घर गया था। वन अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा आरोपी के घर से घुटरी निकाल कर लाये थे। आरोपी ज्ञानसिंह द्वारा उसके साथ आरोपी रामस्वरूप, लालसिंह एवं आरोपी दुर्गेश का होना बताया था। उसके सामने मृत घुटरी का पंचनामा बनाया तथा जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पी0ओ0आर0 प्रदर्श पी-3 की कार्यवाही की गई थी। उसके बयान सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कुमनगांव के द्वारा लेखबद्ध किये गये थे जो प्रदर्श पी-12 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तब घुटरी का शव आरोपी ज्ञानसिंह से लगभग 100 मीटर दूरी पर खुले मैदान में रखा हुआ था और उसने आरोपी के घर पर घुटरी का शव नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 पर रेंज आफिस में जाकर हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती की महत्वपूर्ण कार्यवाही का साक्षी होते हुए जप्ती अधिकारी के अनुसार कार्यवाही किये जाने से इंकार करते हुए मात्र औपचारिकता वश उक्त जप्ती पंचनामा पर हस्ताक्षर किये जाने का समर्थन किया है। इस साक्षी ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी के घर से कथित घुटरी के शव की जप्ती न होकर खुले मैदान से कथित जप्ती हुई थी।

9— सोहनलाल (अ.सा.4) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना के समय वह फारेस्ट कालोनी परसवाड़ा में कार्य करता था। फारेस्ट के कर्मचारी व अधिकारी द्वारा घटना दिनांक को मृत कोठरी को आफिस लेकर आये थे। उसके सामने फारेस्ट वालों ने लकड़ी को इकट्ठा करके मृत कोठरी का शव जलाये थे, उस समय आरोपीगण भी उपस्थित थे। उसके सामने आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-3 की कार्यवाही की गई थी। उसके समक्ष जप्तीनामा प्रदर्श पी-2 की कार्यवाही की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-11 के बयान पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-3, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 व प्रदर्श पी-11 पर मृत कोठरी को जलाने के बाद हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण एवं गांव के लोगों ने बताया था कि कुत्तों ने दौड़ाकर काट लिया था, जिससे वह मर गई थी और कोठरी के मरने की सूचना स्वयं आरोपीगण ने रेंज आफिस में जाकर दी थी।

10— अभियोजन की ओर से उक्त सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य करायी गई है, जिसमें से जप्ती अधिकारी एन.पी.निन्हानवे (अ.सा.1), वनरक्षक विजय कुमार

(अ.सा.2), फारेस्ट कालोनी में कार्यरत् सोहनलाल (अ.सा.4) वन विभाग के कर्मचारी होकर हितबद्ध साक्षी है। मामले में मात्र रमेश बिसेन (अ.सा.3) को स्वतंत्र साक्षी के रूप में पेश किया गया है, जिसने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है, बल्कि जप्ती अधिकारी की कार्यवाही से हटकर कथित कोठरी का शव आरोपी के घर से दूर खुले मैदान में जप्त करना और कथित कोठरी को कुत्तों के द्वारा दौड़ाकर मार डालने के तथ्य को प्रकट किया है।

11— जप्ती अधिकारी एन.पी.निन्हानवे (अ.सा.1) ने मामले में स्वयं सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही, जिसमें जप्ती की कार्यवाही, पी.ओ.आर. तैयार करना, मौके का पंचनामा तैयार करना, आरोपीगण का बयान लेखबद्ध करना, उनकी गिरफ्तारी किया जाना, मृत प्राणी के शव का पंचनामा तैयार करना, घटना स्थल का मौका तैयार करना, अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया जाना आदि सभी महत्वपूर्ण कार्यवाही अकेले निष्पादित की है। उक्त कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षी ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है तथा जिन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में उक्त कार्यवाही का समर्थन करते हुए कथन किया है, वे सभी जप्ती अधिकारी के साथी एवं विभागीय कर्मचारी रहे हैं, जिन्होंने मामले में की गई वरिष्ठ अधिकारी की कार्यवाही का हितबद्ध साक्षी के रूप में समर्थन किया होना प्रकट होता है।

12— प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण रूप से यह बचाव लिया गया है कि कथित जप्तशुदा मृत कोठरी को घटना के समय कुत्तों ने दौड़ाकर मार डाला और जिसकी सूचना स्वयं आरोपीगण ने रेंज आफिस में जाकर दी थी, किन्तु अभियोजन की ओर से स्वयं सूचनाकर्ता आरोपीगण मामले में असत्य आधार पर अभियोजित किया गया है। इस संबंध में परिवाद पत्र के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि परिवादी ने आरोपीगण के द्वारा यह जानकारी दी थी कि खेतों की ओर एक कोठरी को गांव के कुत्ते दौड़ा रहे थे और दौड़ाकर उसे मार डाले। मामले में आरोपीगण के द्वारा कथित कोठरी का शिकार करने अथवा उसे मारते हुए देखे जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। यद्यपि अभियोजन का मामला भी मात्र यह है कि कथित कोठरी को मांस खाने की गरज से आरोपीगण ने छुपाया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आरोपीगण ने कथित मृत कोठरी के मांस खाने के उद्देश्य से उसे छुपाने के आधार पर मामले में उन्हें अभियोजित किया गया है।

13— मामले में तैयार घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-10 में जो घटना स्थल का उल्लेख किया गया है, उसमें यह दर्शित नहीं किया गया है कि घटना स्थल वाला मकान किस आरोपी का है। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 में भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि कथित मृत कोठरी की जप्ती किस अपराधी के मकान से की गई थी। उक्त जप्ती कार्यवाही का समर्थन रमेश (अ.सा.3) एवं सोहन (अ.सा.4) ने भी अपनी साक्ष्य में कथित आरोपीगण में से किसी के मकान से जप्ती होने की साक्ष्य पेश नहीं की है, बल्कि उनकी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मात्र औपचारिकता वश की गई कार्यवाही में उन्होंने हस्ताक्षर किये थे। परिवाद पत्र एवं स्वतंत्र साक्षी रमेश अ.सा. 3 की

साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि स्वयं आरोपीगण ने जप्तशुदा मृत कोठरी को कुत्तों द्वारा दौड़ाकर मार डालने की जानकारी दी थी। ऐसी दशा में प्रस्तुत तथ्य एवं पारिस्थितिक साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं आरोपीगण ने कथित मृत कोठरी के कुत्तों द्वारा मारे जाने के संबंध में रेंज आफिस में सूचना दी थी। आरोपीगण मामले में उक्त वन्य प्राणी के प्रति किये गये अपराध को निवारित करने और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के आशय से सूचना वन विभाग को दिये जाने के उपरांत स्वयं आरोपीगण पर आरोपित अपराध हेतु उन्हें अभियोजित किया जाना संदेहास्पद परिस्थिति को प्रकट करता है।

14— मामले में अभियोजन की ओर से जप्तशुदा मृत कोठरी के शव की परीक्षण रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और न ही शव के रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट पेश की गई। उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज को अभियोजन के द्वारा पेश न किये जाने के संबंध में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार कथित मृत कोठरी के मांस खाने के उद्देश्य से उसे छुपाने के संबंध में जप्ती अधिकारी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है कि आरोपीगण ने अपने घर में मृत कोठरी को छुपाकर रखा था।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर ज्ञानसिंह के मकान में एक वन्य प्राणी मादा घुटरी (चीतल) को मृत अवस्था में उठाकर उसका मांस खाने के आशय से छिपाकर रखा। अतएव आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2, 9, 39, 51, 52 के अन्तर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17— आरोपीगण मामले में दिनांक-21.06.2009 से दिनांक-09.07.2009 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं, इसके संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट